खादी ''ए'' न्यू इनिशियेटिव योजना
प्रारम्भ वर्ष 2007–08

1. आयोजना मद में 'खादी एक नई पहल' नाम से योजना प्रारम्भ की गयी है जिसमें प्रति वर्ष 4 क्लस्टर्स गठित किए जाकर 2500 कत्तिन एवं बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।

1.1. वित्तीय वर्ष 2008–09 में 4 क्लस्टर्स टौंक, विजयनगर (अजमेर), बयाना (भरतपुर) एवं परतापुर (बांसवाड़ा) मे स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2008–09 में योजना में 411.60 लाख रू. का संशोधित बजट प्रावधित था । मार्च 09 तक 229.40 लाख रू व्यय किये जा चुके हैं । शेष राशी 182.20 लाख रु को वर्ष 2009–10 मे माह जुलाई 09 तक व्यय किया जा चुका है, तथा लगभग 880 कत्तिन एवं बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

1.2 वित्तीय वर्ष 2009–10 में 3 खादी एवं 1 ग्रामोद्योग कलस्टर हेतु रु. 400.00 लाख का प्रावधान था तथा 1800 कत्तिन एवं बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य था। संस्था द्वारा प्रारम्भिक स्तर पर उत्पादन कार्य माह सितम्बर, 2010 में प्रारम्भ करने के फलस्वरूप 40 कत्तिन–बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। राशि 226.60 लाख का उपयोग मार्च 2010 तक उपयोग हो चुका है। शेष राशि रु. 162.47 लाख का उपयोग वर्ष 2010–11 में करने हेतु राज्य सरकार से माह अगस्त में स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। पूर्व में प्राप्त प्रस्तावित ग्रामोद्योगिक कलस्टर शर्तों को पूर्ण नहीं करने पर वर्ष 2009–10 की प्रावधित राशि 45.00 लाख रु राज्य कोष मे वापस जमा करवा दी गयी है। शेष राशि रु. 117.45 लाख में से रिवोल्विंग फण्ड की राशि रु. 50.00 लाख का भुगतान मार्च 2011 में संस्था संघ को कर दिया गया है। शेष रही राशि रु. 67.47 लाख का उपयोग वर्ष 2011–12 में लेने हेतु स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही है। राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर मेवाड क्षेत्र में एक सूती कलस्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। कलस्टर हेतु प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है।

1.3 वर्ष 2010–11 में तीन खादी कलस्टर एवं एक ग्रामोधोगी कलस्टर की स्थापना किये जाने के क्रम में योजनान्तर्गत प्रावधित एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 28.02.11 में लिए गए निर्णयानुसार एक सूती, एक ऊनी एवं एक मिश्रित कलस्टर स्थापना हेतु मार्च

2011 में सरंजाम क्रय एवं सी.एफ.सी. की स्थापना बाबत नोडल खादी संस्थाओं को राशि 184.15 लाख का भुगतान किया गया। एक ग्रामोद्योगी कलस्टर स्थापित किये जाने हेतु 45.00 लाख रू का प्रावधान है। एम्पावर्ड कमेटी की दिनांक 28.02.11 को हुयी बैठक में हुए निर्णयानुसार एक ग्रामोद्योगी कलस्टर रु. 80.03 लाख के प्रस्ताव को उपयुक्त पाये जाने के फलस्वरूप प्रावधित राशि रु. 45.00 लाख एवं एक सूती कलस्टर की बचत राशि रु. 15.02 लाख को सम्मिलित करते हुए ग्रामोद्योग कलस्टर हेतु बोर्ड द्वारा देय राशि 60.02 लाख का भुगतान दिनांक 31.03.11 को किया जा चुका है तथा स्टेट फेसेलिटी सेन्टर ध्याधीन खादी कलस्टरों की सदस्य संस्थाओं को कच्चा माल उपलब्ध कराये जाने हेतु वर्ष 2010–11 में उपलब्ध राशि रु. 1.25 करोड राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ को रिवोल्विंग फण्ड के पेटे दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त एस.एफ.सी. अन्तर्गत खादी संघ की बीकानेर स्थित जमीन पर संस्था संघ द्वारा फिनिशिंग और प्रोसेसिंग प्लान्ट लगाये जाने के क्रम में वर्ष 2010–11 में उपलब्ध राशि रु. 60.00 लाख भी संस्था संघ को इस निमित्त दिये गये।

वर्ष 2011–12 में खादी ए न्यू इनिशियेटिव योजना को परिवर्तित करते हुए एक–लघु खादी परियोजना प्रारम्भ की जाने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये गये हैं। योजनान्तर्गत 8 एकल खादी संस्थाओं को लाभान्वित किया जायेगा। इस हेतु रु. 277.20 लाख का प्रावधान रखा गया है तथा एक ग्रामोद्योगी कलस्टर हेतु रु. 45.00 लाख का प्रावधान रखा गया है।